

**कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (ग.प्र.)**

—: **विविध आदेश :-**

क्रमांक : क्यू-8/जिला एवं सत्र न्याया. /2020

कटनी, दि.16.04.2020


माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर, के ज्ञापन क्रं.Reg(IT)(SA)/2020 Jabalpur, Dated 15-04-2020 के अनुपालन में, उक्त संदर्भ में पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अलावा/अतिरिक्त/सातत्य में, निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं -

01. केवल Urgent प्रकरणों की सुनवाई शासकीय राजपत्र दि.01 मार्च 2019 में प्रकाशित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिशा निर्देशों/नियमों का यथा संभव/यथा प्रयोज्य अनुसरण करते हुए की जावे।
02. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल Urgent प्रकरणों की सुनवाई एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार एकल संपर्क बिन्दु(Single point of contact)/हेल्प लाइन नंबर नियुक्त किये जाते हैं-

— : **एकल संपर्क बिन्दु(Single point of contact)/हेल्प लाइन नंबर :-**

- A - **जिला मुख्यालय कटनी** - जिला न्यायालय कटनी की **E-mail ID** -  
dcourtkat-mp@nic.in
1. सिस्टम आफीसर श्री रामकिशोर मिश्रा- मो. नं. 8989608892  
(व्हाट्सअप नं.)  
(किसी आकस्मिकता के कारण अनुपलब्धता/सम्पर्क न होने की स्थिति में)
  2. सहायक सिस्टम आफीसर श्री दीपक राजपूत- मो.नं. 9300631713  
(व्हाट्सअप नं.)
- B - **तहसील विजयराघवगढ़**-की **E-mail ID**- vijayraghavghahr@mphc.in,  
सहायक सिस्टम आफीसर श्रीकांत झा-मो.  
नं.8982633837(व्हाट्सअप नं.)  
**E-mail ID**- shri\_jha@yahoo.co.in
- C - **तहसील बरही** - सहायक सिस्टम आफीसर श्री पंकज बुरुन्डे  
मो. नं.7224016460(व्हाट्सअप नं.)  
- 86021-183881  
**E-mail ID**- pkjburande99@gmail.com
- D - **तहसील टीमरखेडा** - सहायक सिस्टम आफीसर श्री पंकज दुबे-मो.  
नं. 7987194847(व्हाट्सअप नं.)  
**E-mail ID**- pankaj2dubey@gmail.com

03. उक्त एकल संपर्क बिन्दु (Single point of contact)/हेल्प लाइन नंबर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर एवं जिला न्यायालय कटनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जावे।
04. Urgent प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रकरणों की ई-फाइलिंग/ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुति को प्रोत्साहित किया जावे।
05. दांडिक मामलों में सुनवाई हेतु केस डायरी इलेक्ट्रानिक/पी.डी.एफ.फार्मेट में स्वीकार की जावे।
06. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता और/या आवाज (Audibility)आदि के संबंध में कोई भी शिकायत कार्यवाही के दौरान या कार्यवाही की समाप्ति के तत्काल बाद उक्त सम्पर्क सूत्र/हेल्प लाइन नंबर पर की जावे और ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में उक्त संबंध में कोई भी शिकायत बाद में ग्रहण नहीं की जायेगी।



07. Urgent प्रकरणों की सुनवाई हेतु पूर्व में समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का भी कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे

(अचल कुमार पालीवाल)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी  
कटनी, दि.16.04.2020

पृष्ठांकन क्रमांक : /2020

- प्रतिलिपि :-
01. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  02. जिला मजिस्ट्रेट, कटनी, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  03. पुलिस अधीक्षक, कटनी, की ओर समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को दांडिक मामलों में सुनवाई हेतु केस डायरी इलेक्ट्रानिक/पी.डी.एफ.फार्मेट में प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने बाबत प्रेषित।
  04. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कटनी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
  05. समस्त न्यायिक अधिकारीगण/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण जिला न्यायालय, कटनी, तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
  06. अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय कटनी/बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
  07. प्रभारी अधिकारी, नजारत/जिला नाजिर/नायब नाजिर जिला न्यायालय कटनी, तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
  08. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/सिस्टम आफिसर/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय कटनी एवं प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर, असिस्टेंट सिस्टम आफिसर तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
  09. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/सिस्टम आफिसर/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर/प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय कटनी, की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण एवं अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय, कटनी, तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा को ईमेल/व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से सूचित करने हेतु,
  10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/सिस्टम आफिसर/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय कटनी की ओर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर एवं जिला न्यायालय कटनी की वेबसाइट पर उक्त समस्त एकल संपर्क बिन्दु (Single point of contact) /हेल्प लाईन नंबर (जिला मुख्यालय कटनी एवं समस्त बाह्यवर्ती न्यायालयों के) अपलोड/प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
  11. उप संचालक अभियोजन/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित।
  12. जनसंपर्क अधिकारी, कटनी की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
  13. अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, कटनी की ओर समस्त न्यायिक कर्मचारीगण को सूचित करने हेतु प्रेषित।
  14. अधीक्षक, जिला जेल कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अचल कुमार पालीवाल)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी (म.प्र.)